फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रियकां बनाम **अनिल कुमार**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 122 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
19.08.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल न0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 181/35 के खसरा न0 104 की 12.8990हैक में से गैरसायल न0 1 की 10407/128990 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्बध में गैरसायलान को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । खाला व रास्ता की भूमि एव बैंक में भुगतान कर रहन मुक्त करवाने पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 25.10.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर उपखण्ड अधिकारी नोहर	
2021	वकील सायल व प्रार्थी पत्र पत्रावली पेशी में ली गई वकील सायल ने निवेदन किया की पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहिए प्रार्थना पत्र खारिज करावे सायल स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner